डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

के परीक्षा समिति की षष्ठम् बैठक दिनाँकः 12 मार्च, 2020 का कार्यवृत्त

समय–	अपराह्न 03: 00 बजे
स्थान–	पंचम तल स्थित सभागार, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की षष्ठम् बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा बिन्दु सं0	कार्यवाही
1/6	**परीक्षा समिति की पंचम बैठक के निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति द्वारा पंचम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
2/6	**परीक्षा समिति की पंचम बैठक दिनांक 23 नवम्बर, 2019 में लिए गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति की पंचम बैठक में बिन्दुवार लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या/कृत कार्यवाही से परीक्षा समिति को अवगत करा दिया गया एवं बिन्दु सं0 5/5 के क्रम में एजेण्डा बिन्दु संख्या 6/6 प्रस्तुत किया गया।
3/6	**सेमेस्टर बैक के स्थान पर ईयर बैक व्यवस्था लागू किये जाने के संबंध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति की बैठक में सभी सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया शैक्षिक सत्र 2020–21 में प्रत्येक वर्ष जुलाई, अगस्त में सेमेस्टर बैक कराने एक वर्ष अर्थात दो सेमेस्टर में अधिकतम 04 प्रश्न–पत्रों तक अनुत्तीर्ण होने पर उन्हे अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में 04 प्रश्न–पत्रों से अधिक में अनुत्तीर्ण होने पर सेमेस्टर बैक के स्थान पर ईयर बैक व्यवस्था लागू होगी, तथा पुनः पंजीकरण/नामांकन कराते हुए ईयर बैक की सुविधा दी जायेगी। ईयर बैक किये गये विद्यार्थियों को छात्रावास की सुविधा एवं शुल्क सम्बन्धी छूट प्रदान नहीं किये जाने पर परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
4/6	**दिव्यांग छात्र/छात्राओं की शैक्षणिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रश्न–पत्र प्रारूप एवं मूल्यांकन में आंशिक संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि लिखित परीक्षा के लिये तैयार कराये जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रश्न–पत्रों में आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों, लघु उत्तरीय प्रश्नों एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के अंको में वृद्धि तथा शब्द सीमा में कमी किये जाने पर परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
5/6	**सेमेस्टर/बैक पेपर परीक्षा मई, 2020 हेतु अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।**
	निर्णयः–विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों हेतु सेमेस्टर/बैक पेपर परीक्षा मई, 2020 की परीक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के श्रुति लेखकों के भुगतान, कार्यालय व्यय एवं अन्य परीक्षा सम्बंधी व्यय के लिए रू0 4.00 लाख अग्रिम धनराशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को वित्त समिति में

	प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
6/6	**आन्तरिक परीक्षा (मिड सेमेस्टर व एसाइनमेण्ट परीक्षा) को विशेष परिस्थिति में विद्यार्थियों के अनुरोध के दृष्टिगत विभागीय स्तर पर पुनः सम्पन्न कराये जाने के संबंध में।**
	निर्णयः—परीक्षा समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि विद्यार्थियों के शुल्क जमा किए जाने, उपस्थिति, शैक्षिक गतिविधियों में सहभागिता, मिड सेमेस्टर/एसाइन्मेन्ट में अनुपस्थिति का औचित्य एवं समुचित साक्ष्य उपलब्ध कराने आदि बिन्दुओं पर विचार करते हुए विद्यार्थियों के भविष्य एवं उनके हित के दृष्टिगत एक निश्चित अवधि में मिड सेमेस्टर/एसाइन्मेंट/प्रेजेन्टेशन परीक्षा का आयोजन विभागीय स्तर पर सम्पन्न कराया जायेगा। सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष की स्पष्ट अनुसंशा और तत्पश्चात् माननीय कुलपति महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आधार पर ही ऐसे विद्यार्थियों को संबंधित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी। मिड सेमेस्टर टेस्ट/एसाइन्मेंट/प्रेजेन्टेशन परीक्षा आदि में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के सम्बन्ध में कोई पुर्नविचार नहीं किया जायेगा तथा परीक्षा नियंत्रक कार्यालय द्वारा छात्र के अनुरोध को किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं किया जायेगा। परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
7/6	**परीक्षा के दौरान दिव्यांग (श्रवणबाधित एवं दृष्टिबाधित) विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन के दृष्टिगत उत्तर पुस्तिका पर दिव्यांगता का अंकन एवं परीक्षा समाप्त होने के उपरांत इनकी उत्तर पुस्तिका का बण्डल अलग बनाये जाने के संबंध में।**
	निर्णयः—विश्वविद्यालय में समय—समय पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं के दौरान दिव्यांग (श्रवणबाधित एवं दृष्टिबाधित) विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दृष्टिगत उत्तर पुस्तिका पर दिव्यांगता का अंकन कराये जाने एवं परीक्षा समाप्त होने के उपरांत इनकी उत्तर पुस्तिका पर एक कॉलम या बोक्स बना हो जिस पर दिव्यांग विद्यार्थी द्वारा अपनी दिव्यांगता अंकित की जाये, अन्यथा उन्हे चिन्हित करने के लिये विशेष प्रकार के रंगों का उपयोग कर किया जाय, जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन बाधारहित कराये जाने संबंधी प्रस्ताव पर परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
8/6	**परीक्षा विभाग के लिये आकस्मिक व्यय निधि की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः— विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग के लिये प्रतिमाह रू0 20,000/—(रूपये बीस हजार मात्र) की कन्टीजेन्सी की व्यवस्था किये जाने के प्रस्ताव को परीक्षा समिति द्वारा वित्त समिति में प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।
9/6	**उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सापेक्ष चुनौती मूल्यांकन कराये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सापेक्ष चुनौती मूल्यांकन कराये जाने के सम्बन्ध में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम हेतु चुनौती मूल्यांकन की फीस रू0 10,000/—करने पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्तुत सम्पूर्ण प्रस्ताव पर परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
10/6	**एम0बी0बी0एस0/पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सापेक्ष किये जाने वाले भुगतान धनराशि (प्रति उत्तर पुस्तिका) का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः—परीक्षा समिति की बैठक में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध टी0एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, लखनऊ एवं टी0एस0 मिश्रा पैरा मेडिकल कालेज, लखनऊ के माध्यम से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित एम0बी0बी0एन0 एवं पैरा मेडिकल पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के आयोजन के सापेक्ष सम्बन्धित उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य किया जाता है, जिस हेतु परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सापेक्ष न्यून धनराशि रू0 20/25 प्रति उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाती है, जिससे परीक्षक/विशेषज्ञ उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं करते हैं।

		उक्त पाठ्यक्रम की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन ससमय नहीं हो पाता है, जिससे परीक्षा परिणाम घोषित करने में विलम्ब होता है। उपरोक्त प्रस्ताव पर परीक्षा समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन राज्य विश्वविद्यालयों यथा–डॉ0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद तथा कानपुर विश्वविद्यालय में एम.बी.बी.एस. का पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है, वहाँ की मूल्यांकन व्यवस्था को दृष्टिगत् रखते हुए उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु शुल्क निर्धारण किया जाना उचित होगा।
11/6		**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।**
		निर्णयः– **1.** अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्रस्तुत अन्य प्रस्तावों के अन्तर्गत परीक्षा संबंधी कार्यो हेतु नामित विशेष कार्याधिकारी (ओ0एस0डी0) को दायित्व निर्वहन के सापेक्ष एक निर्धारित मानदेय दिये जाने हेतु विचार–विमर्श किया गया। 2. विश्वविद्यालय में आयोजित की जाने वाली प्रायोगात्मक, मौखिकी, क्षेत्र कार्य एवं लघु प्रबन्धन के मूल्यांकन हेतु आन्तरिक परीक्षकों को एक निर्धारित मानदेय दिये जाने पर भी विचार–विमर्श किया गया। 3. अन्य बिन्दुओं पर असहमति व्यक्त करते हुये एक सम्यक प्रस्ताव तैयार कर पृथक से रखने हेतु निर्देशित किया गया।

डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
दिव्यांगजन सषक्तिकरण विभाग
उत्तर प्रदेश सरकार
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
Empowerment of Persons with Disabilities Department
Government of Uttar Pradesh

प्रेषक,

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ

सेवा में,

1. कुलपति	:	अध्यक्ष
2. विश्वविद्यालय के समस्त संकायों के अधिष्ठातागण	:	सदस्य
3. प्रो0 एच0 एस0 झा, आचार्य	:	सदस्य
4. डॉ0 संजीव कुमार गुप्ता, सह आचार्य	:	सदस्य
5. डॉ0 आशीष कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य	:	सदस्य
6. परीक्षा नियंत्रक	:	सदस्य
7. प्राचार्य, टी0 एस0 मिश्रा मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल, लखनऊ	:	सदस्य
8. प्राचार्य, हिन्द महाविद्यालय, बाराबंकी।	:	सदस्य
9. प्राचार्य, कल्याणं करोति, मथुरा।	:	सदस्य
10. प्राचार्य, विमला महाविद्यालय, लखनऊ।	:	सदस्य

पत्रांक : 05-01/पत्रा.COE-31/DSMNRU/2020–21 दिनांकः 06 मई, 2020

महोदया/महोदय,

कृपया डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ के परीक्षा समिति की षष्ठम् बैठक दिनाँक 12.03.2020 के कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नकः यथोपरि।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव